परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2015/7683 दिनांक 26.09.2015 के अनुसार जुलाई 2014 से जून 2015 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 5807 रहा है। इसलिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2014 से जून 2015 तक की अवधि में 5807 (5807–4191=1616 पाईंट) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 16.16 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक देय है। (अनुसूची ''फ'')

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–28–116–99–16–ए, दिनांक 04 सितम्बर, 2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितम्बर 2000) एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10–20/2012/16, दिनांक 02.11.2012 (राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर 2012) के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक देय है।